मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 8817 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 2 / 9 /11

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
   समस्त जिले (जिला मुरैना एवं सीहोर को छोड़कर)

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भः– परिषद् मुख्यालय का पत्र क्र. 6796 दिनांक 28.5.2011, पत्र क्र. 7113 भोपाल दिनांक 03.07.2011 एवं पत्र क्र. क्यू.–1 भोपाल दिनांक 22.7.2011

---000---

विषयान्तर्गत सदंर्भित पत्रों के माध्यम से समय–समय पर वित्तीय वर्ष 2010–11 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक 31 जुलाई 2011 तक परिषद् मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु आपको स्मरण कराया गया था। आज दिनांक की स्थिति में मात्र दो जिले सीहोर एवं मुरैना से ही अंकेक्षित वित्तीय पत्रक प्राप्त हुये है। निर्धारित दिनांक के एक माह पश्चात भी आपके द्वारा ऑडिट कार्य पूर्ण नहीं कराया जाना अत्यंत खेद का विषय है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि अंकेक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाकर समेकित अंकेक्षित वित्तीय पत्रक परिषद् मुख्यालय को 10 सितम्बर 2011 तक अनिवार्यतः विशेष वाहक के हस्ते उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस कार्य को अग्रता प्रदान की जाए।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
भोपाल

पृ.क्रमांक/ 8818 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 2 / 9 /11

प्रतिलिपि –

1. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित कलेक्टरों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
भोपाल